फाजिल्का काऑपरेटीव शुगर मिल्स

बनाम

जतिंदर कुमार गुप्ता और अन्य

25 अप्रैल, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी.के. जैन, जे.जे.]

श्रम विधियाः-

सेवा से बर्खास्तगी/पदच्युति- कर्मकार द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका पर प्रबंधन द्वारा कर्मकार को निर्वाह भत्ता दिये जाने का निर्देश दिया-प्रबंधन ने निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया-श्रम न्यायालय द्वारा प्रबंधन को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया--बकाया वेतन सहित बहाली का आदेश--उच्च न्यायालय द्वारा इसे बहाल रखा गया-- जिसे चुनौती दी गई --निर्धारित, तथ्यों के आधार पर, लम्बा समय के व्यतीत होने पर बहाली का निर्देश दिया जाना उचित नहीं है--विधि के अधीन उच्च न्यायालय का आदेश बदले जाने योग्य नहीं है, परन्तु विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, प्रबंधन को कर्मकार के दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे में 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

प्रत्यर्थी-कर्मकार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उसने औद्योगिक विवाद उठाया । कर्मकार द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका पर उच्च न्यायालय ने प्रबंधन द्वारा कर्मकार को निर्वाह भत्ता दिये जाने का निर्देश दिया। चूंकि अपीलकर्ता-प्रबंधन ने निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया, इसलिए श्रम न्यायालय ने कर्मकार के पक्ष में निर्णय दिया और प्रबंधन को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने से मना कर दिया। इसके बाद उनके द्वारा निर्वाह भत्ता का भुगतान किया गया।

पीड़ित/व्यथित प्रबंधन द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए उक्त अपील प्रस्तुत की गई।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया किः-

1. एक बात तो स्पष्ट है कि भुगतान के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की गई थी लेकिन श्रम न्यायालय के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में तारीखें तय की गई थी। जहाँ तक प्रबंधन का सवाल है, श्रम न्यायालय के आदेश द्वारा साक्ष्य बंद कर दिये जाने के पश्चात् निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाना किसी भी तरह से मनमाना नहीं कहा जा सकता। तथापि, बर्खास्तगी का आदेश 1992 में पारित किया गया और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2ए के तहत औद्योगिक विवाद दिनांक 11.05.1994 को उत्पन्न हुआ था और इसके पश्चात् इसी अधिनियम की धारा 10(1)(सी) के अन्तर्गत इसका निर्देश (रेफरेंन्स) प्रस्तुत किया गया था। [पैरा 5] [620-डी, ई, एफ]

2. प्रबंधन के लिए प्रतिवादी को गुणावगुण पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था। चूँकि कथित तौर पर वह जाच जिसमें प्रबंधन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था वह निष्पक्ष एवं उचित तरीके से नहीं की गई थी। प्रतिवादी कर्मकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। इतना लम्बा समय बीत जाने के पश्चात् पुनः बहाली का निर्देश दिया जाना एवं साथ ही बकाया वेतन का निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा। एसा बताया गया है कि अपीलकर्ता को 35 करोड़ की भारी हानि हुई है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि द्वारा बदले जाने योग्य नहीं है, परन्तु प्रकरणों के विचित्र तथ्यों को देखते हुए हम निर्देशित

करते है कि प्रतिवादी-कर्मकार के दावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के रूप में दो लाख रूपये की राशि आज से छः मास की अवधि के मध्य अदा कर दी जायें। प्रतिवादी-कर्मकार का अन्य आगे कोई और दावा नहीं होगा और/अथवा अपीलकर्ता का जहाँ तक कि प्रतिवादी-कर्मकार का प्रश्न है, के विरूद्ध कोई दायित्व नहीं होगा। [पैरा 6] [620-एफ, जी, एच; 621-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या-2144/2007

उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या-1655/ 2004 में दिनांक 08.04.2004 पारित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से एस. जनानी और दीपक गोईल।

प्रत्यर्थी की ओर से उत्तरदाताओं परमजीत सिंह पटवालिया, अमनप्रीत सिंह राही, किरण सूरी और देवेश त्रिपाठी

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए पारित किये गये आदेश को चुनौती दी गई है। इस रिट याचिका में श्रम न्यायालय, भटिंडा, पंजाब द्वारा दिनांक 10.12.2003 को दिये गये पंचाट को चुनौती दी गई थी। उक्त पंचाट के द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 कर्मकार को डिमांड नोटिस की तारीख से 50 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ सेवा की निरंतरता के साथ सेवा में बहाल किया जाने का निर्देश दिया गाय था। उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य आक्षेप यह था कि अपीलकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका संख्या 14465 सन् 2001 में कर्मकार को निर्वाह भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। चूंकि

श्रम न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गये निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था और अपीलकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अपीलकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता के अनुसार अपनाई गई कार्य प्रणाली अवैध थी। हालाँकि, प्रतिवादी-कर्मकार के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा श्रम न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए कहा गया कि निर्वाह भत्ते के भुगतान हेतु श्रम न्यायालय का आदेश अवैध नहीं था और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका का खारिज किया जाना सही था।

3. जहाँ तक तथ्यात्मक स्थिति का संबंध है इसके संबंध में कुछ विवरणों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

4. उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर- 14465/2001 में दिनांक 18.9.2001 को मामले को विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 19.02.2002 को सूचीबद्ध किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया। इसी दौरान, श्रम न्यायालय के समक्ष उक्त वाद में दलीले समाप्त किये जाने का आदेश दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि डिमांड ड्राफ्ट दिनांकित 30.01.2002 के माध्यम से निर्वाह भत्ता की राशि 5291/- का भुगतान अपीलकर्ता के द्वारा किया गया था। लेकिन श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2001 को आदेश पारित कर प्रबंधन के साक्ष्य को इस आधार पर बंद किया जा चुका था कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2001 की अनुपालना उस दिनांक तक नहीं की गई थी। निर्विवाद रूप से, दिनांक 05.12.2001 के आदेश द्वारा साक्ष्य बंद किये जाने के पश्चात् निर्वाह भत्ते की राशि का भुगतान कर्मकार को किया गया था। प्रबंधन द्वारा निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया जा चुका था। जाच अधिकारी के द्वारा जाँच कार्यवाहियां की जाने के दौरान उसे सेवा में बहाल नहीं किया गया था । यह सत्य है कि कोई दिनांक तय नहीं थी। उच्च न्यायालय का यह मत था कि प्रबंधन के आचरण को देखते हुए श्रम न्यायालय द्वारा

पारित किये गये पंचाट में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

5. एक बात तो स्पष्ट है कि भुगतान के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की गई थी लेकिन श्रम न्यायालय के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में तारीखें तय की गई थी। जहा तक प्रबंधन का सवाल है, श्रम न्यायालय के आदेश द्वारा साक्ष्य बंद कर दिये जाने के पश्चात् निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाना किसी भी तरह से मनमाना नही कहा जा सकता। तथापि, बर्खास्तगी का आदेश 1992 में पारित किया गया और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2ए के तहत औद्योगिक विवाद दिनांक 11.05.1994 को उत्पन्न हुआ था और इसके पश्चात् इसी अधिनियम की धारा 10(1)(सी) के अन्तर्गत इसका निर्देश (रेफरेंन्स) प्रस्तुत किया गया था।

6. जहां तक तथ्यात्मक स्थिति का संबंध है इसमें कुछ भ्रम प्रतीत होता है। प्रबंधन के लिए प्रतिवादी को गुणावगुण पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था। चूँकि कथित तौर पर वह जाच जिसमें प्रबंधन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था वह निष्पक्ष एवं उचित तरीके से नहीं की गई थी। प्रतिवादी कर्मकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। इतना लम्बा समय बीत जाने के पश्चात् पुनः बहाली का निर्देश दिया जाना एवं साथ ही बकाया वेतन का निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा। एसा बताया गया है कि अपीलकर्ता को 35 करोड़ की भारी हानि हुई है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि द्वारा बदले जाने योग्य नहीं है, परन्तु प्रकरणों के विचित्र तथ्यों को देखते हुए हम निर्देशित करते है कि प्रतिवादी-कर्मकार के दावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के रूप में दो लाख रूपये की राशि आज से छः मास की अवधि के मध्य अदा कर दी जायें। प्रतिवादी-कर्मकार का अन्य आगे

कोई और दावा नहीं होगा और/अथवा अपीलकर्ता का जहाँ तक कि प्रतिवादी-कर्मकार का प्रश्न है, के विरूद्ध कोई दायित्व नहीं होगा।

7. इसी अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

अपील का तद्नुसार निपटारा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनुभव सिदाना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।